637

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक–:प.12(261)नविवि/2009

जयपुर, दिनांक–: 11 OCT 2010

6521
11/10/10

मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
सचिव, नगर विकास न्यास,
अजमेर/अलवर/बीकानेर/भीलवाडा/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/श्रीगंगानगर/आबू/भिवाडी/जैसलमेर।

विषयः– राजकीय भूमि/सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से निर्मित धार्मिक पूजा स्थलों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी नीति के अनुसार तुरन्त कार्यवाही करने के संबंध में।

संदर्भः–इस विभाग के पूर्व समसंख्यक पत्र दिनांक 07.01.10,25.01.10 एवं 17.08.10 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राजकीय/भूमि सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से निर्मित धार्मिक पूजा स्थलों के संबंध मे नीति का राज्य मंत्रीमण्डल द्वारा दिनांक 04.09.10 को समसंख्यक आदेश प.9(5)राज–6/2010/7 जयपुर दिनांक 08.09.2010 द्वारा जारी किया गया है। जारी नीति आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि राजकीय भूमि/सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से निर्मित धार्मिक पूजा स्थलों के संबंध प्रकरणों को वर्गीकृत कर नीति अनुसार कार्यवाही करावें व भविष्य में इस प्रकार के अनाधिकृत निर्माण रोकने हेतु जो प्रस्ताव दिये गये है के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करावें तथा क्रियान्विति रिपोर्ट अविलम्ब राजस्व विभाग को प्रेषित करते हुए इस विभाग को अवगत करवाने का श्रम करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(निष्काम दिवाकर)
उप. शासन सचिव–द्वितीय

ACTP (W)

आदेश की प्रति विभाग के सभी तकनीकी अधिकारियों को दी जावे
P.A.
13.10

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

पत्रांक: 9(5)राज-6/2010/7 जयपुर, दिनांक:- 8-9-10

आदेश

राजकीय भूमि/सार्वजनिक स्थलों पर अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से निर्मित धार्मिक पूजा स्थलों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समस्त राज्य सरकारों को निर्देश दिये हैं कि वे सम्पूर्ण प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर किये गये धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माणों का सर्वेक्षण करावें तथा इस प्रकार किये गये अनाधिकृत निर्माणों के संबंध में एक नीति तैयार करें, जिसके अन्तर्गत प्रकरणों का उचित निस्तारण किया जावे।

नीति का राज्य मंत्रीमण्डल द्वारा दि0 4.9.2010 को अनुमोदन किया गया है। मंत्रीमण्डल द्वारा अनुमोदित नीति निम्न प्रकार है:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सभी संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे अपने-अपने जिले में सर्वेक्षण करवाकर सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माणों की सूची तैयार करें।

जिला कलेक्टरों द्वारा करवाये जा रहे सर्वेक्षण में जितने भी अनाधिकृत निर्माण पाये जावें, उनका विस्तृत परीक्षण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावे। इस समिति में जिले के पुलिस अधीक्षक एवं स्थानीय निकाय के मुख्य अधिशाषी अधिकारी स्थाई सदस्य हों। यह समिति प्रत्येक अनाधिकृत निर्माण के संबंध में विचार करके सभी प्रकरणों को निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत करें:-

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अनाधिकृत निर्माण ऐसी भूमि पर किया गया है जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए आरक्षित नहीं हैं एवं अनाधिकृत निर्माण के कारण न तो सार्वजनिक आवागमन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं न ही स्थानीय निवासियों को कोई असुविधा हो रही हैं।

   इस प्रकार के प्रकरणों के संबंध में संबंधित विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा उस भूमि का आवंटन संबंधित ट्रस्ट/रजिस्टर्ड संस्था को ऐसी शर्तों पर कर दिया जावे जो कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावें।

2. इस प्रकार के प्रकरण जिनमें अनाधिकृत निर्माण किसी ऐसी भूमि पर किया गया है जो किसी विशेष प्रयोजन हेतु आरक्षित है अथवा

किया गया है, उनके संबंध में यह विचार किया जाना चाहिए कि सड़क की रीएलाईमेन्ट (Re-alignment) की जाकर यातायात के आवागमन के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है या नहीं? यदि सड़क को रीएलाईमेन्ट (Re-alignment) के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था संभव हो तो इस प्रकार के प्रकरणों में उस भूमि का आवंटन संबंधित ट्रस्ट/संस्था को कर दिया जावे।

इस श्रेणी में विभाजित अन्य समस्त प्रकरणों में जिला कलेक्टर्स/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संबंधित अन्य विभागों/स्थानीय निकायों की मदद से ऐसी समीपस्थ स्थित कोई भूमि चिन्हित की जानी चाहिए जहां पर अनाधिकृत निर्माण को स्थानांतरित (shift) किया जा सकता हो तथा ऐसी चिन्हित भूमि संबंधित ट्रस्ट/रजिस्टर्ड संस्था को संबंधित विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा ऐसी शर्तों पर आवंटित कर दी जानी चाहिए, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित की जावे। संबंधित ट्रस्ट/रजिस्टर्ड संस्था को अनाधिकृत निर्माण को आवंटित भूमि पर स्थानान्तरित (shift) करने हेतु पर्याप्त समय दिया जाना चाहिये। यदि किसी प्रकरण में अनाधिकृत निर्माण किसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो, तो उसे निर्देशित किया जावेगा कि वह एक ट्रस्ट/रजिस्टर्ड संस्था पंजीकृत करावे तथा भूमि केवल इस प्रयोजन हेतु गठित ट्रस्ट/रजिस्टर्ड संस्था को ही आवंटित की जावेगी। इन समस्त प्रकरणों में भूमि का आवंटन इस विशिष्ट शर्त के साथ किया जावेगा कि संबंधित संस्था/रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ऐसी भूमि को विक्रय या अन्य किसी भी रूप में स्थानांतरण (Transfer) करने का अधिकार नहीं होगा और आवंटित भूमि संबंधित ट्रस्ट/रजिस्टर्ड संस्था के कब्जे में ही रहेगी किन्तु भूमि का स्वामित्व यथावत राज्य सरकार का ही रहेगा।

यदि संबंधित ट्रस्ट/रजिस्टर्ड संस्था इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हो कि अनाधिकृत कब्जे को समीप में चिन्हित भूमि पर स्थानान्तरित (shift) कर दिया जावे तो ऐसे प्रकरणों में संबंधित उपखण्ड अधिकारी/जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संबंधित ट्रस्ट/रजिस्टर्ड संस्था के विरूद्ध Rajasthan Religious Buildings and Places Act, 1954 एवं ततसंबंधी अन्य विधिक प्रावधानों के अर्न्तगत अतिक्रमित भू भाग एवं अवैध निर्माण एंव कब्जे को हटाने हेतु समुचित कानूनी कार्यवाही करेंगें।

भविष्य में सार्वजनिक भूमि/स्थलों पर धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माणों को रोकने की दृष्टि से भी प्रभावी कदम उठाना आवश्यक है। यह देखा गया है कि देश में जो नये शहर विकसित किये गये है, उनमें विभिन्न सैक्टर्स/स्कीमस् (Sectors/Schemes) में धार्मिक भवनों के निर्माण हेतु उचित एवं समुचित भूमि/प्लॉट आरक्षित किये गये है। इस प्रकार के शहरों

चूंकि, [illegible] [illegible] निर्माण नहीं हुए हैं। अतः निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जावे।

1. भविष्य में जब कभी भी नगर नियोजन विभाग द्वारा किसी शहर अथवा ग्राम का मास्टर प्लान तैयार किया जावे तो सुनिश्चित करें कि मास्टर प्लान में धार्मिक भवनों के निर्माण हेतु भूमि का आरक्षण किया गया है।
2. जब कभी भी किसी शहर में किसी विभाग/स्थानीय निकाय/राजस्थान आवासन मण्डल आदि द्वारा किसी भी आवासीय योजना के प्रस्ताव तैयार किये जाते है तो वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की आवासीय योजनाओं में धार्मिक स्थल/भवनों के निर्माण हेतु समुचित भूमि का आरक्षण किया जावे।
3. भविष्य में जनहित में बनाये गये सार्वजनिक पार्क/बाग/मैदान आदि में अतिक्रमण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यदि भविष्य में नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा सार्वजनिक स्थल पर बनाये गये पार्को में धार्मिक स्थलो, भवन का निर्माण किया जाता है तो इस प्रकार के अतिकमणों के लिए सबंधित ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय उत्तरदायी होंगें।"

यह नीति तुरन्त प्रभाव से लागू होगी।

8.9.10
प्रमुख शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2. समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राज0।
6. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
8. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक टीपीआर 1000/सामान्य/35-III/ 11387-510

दिनांकः- 20 OCT 2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही संलग्न कर प्रेषित है:-

1. मुख्य नगर नियोजक (एनसीआर), राजस्थान, जयपुर।
2. अति0 मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर /उदयपुर / कोटा/ जोधपुर/ बीकानेर/ अजमेर जोन, को संलग्न कर अपने अधिन सभी डिस्ट्रिक टाउन प्लानर को अपने स्तर पर प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।
4. उप नगर नियोजक (जेडएसपी) राजस्थान, जयपुर।
5. उप नगर नियोजक, अलवर / भरतपुर क्षेत्र को संलग्न कर अपने अधिन सभी डिस्ट्रिक टाउन प्लानर को अपने स्तर पर प्रतिलिपि उपलब्ध करावे। ।
6. मुख्यालय के सभी तकनीकी अधिकारी। श्रीमति रिंकू बंसल, उ०न०नि०

अति0 मुख्य नगर नियोजक(पश्चिम)
राजस्थान, जयपुर।